न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2017/4952

1. गुरमेजसिंह मृत द्वारा वारिसानः—
   अ— बलदेव सिंह
   ब— सत्येन्द्रसिंह पुत्रगण स्व0 श्री गुरमेज सिंह,
   स— कर्मासिंह पुत्र गुरमेज सिंह फोत द्वारा वारिसानः—
   क— हरवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री कर्मासिंह
   ख— जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री कर्मासिंह
   निवासीगण— ग्राम नोनकी सराय, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर, म0प्र0
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री तेजसिंह
3. लखवीर सिंह पुत्र श्री तेजसिंह
4. हरप्रीतसिंह पुत्र श्री रिछपालसिंह
5. रिछपाल सिंह पुत्र श्री योगेन्द्रसिंह
6. मनप्रीत सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह
7. हरविन्दर पुत्र श्री तरसेम सिंह
8. दलजीत कौर पत्नी श्री तरसेम सिंह
9. अमरीख सिंह पुत्र श्री तेजसिंह
10. बलवीर सिंह पुत्र श्री तेजसिंह
11. बख्तावरसिंह पुत्र श्री बाजसिंह
    कमांक 2 लगायत 11 निवासीगण— ग्राम मैना तहसील चीनौर जिला ग्वालियर, म0प्र0
12. बलजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह
13. मंजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
    कमांक 12 व 13 निवासीगण—ग्राम नौनकीसराय तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर, म0प्र0 **—निगरानीकर्तागण**

बनाम

म0प्र0 शासन ---प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 सहपठित म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) की कण्डिका 30 विरूद्ध आदेश दिनांकी 15/11/2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 5/अ–90/बी–3/2016–17 निगरानी व उनवान म0प्र0 शासन बनाम गुरमेज सिंह आदि।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/17/4952

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–12–2017	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आदेश में प्रकरण के लंबित रहने के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है । उनके प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निराधार आपत्ति को अस्वीकार करते हुये प्रकरण में आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर उनके स्वत्व के समर्थन में अभिलेख एवं साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है , जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	